

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO.533 OF 2025****IN THE MATTER OF:****Muskam W/o Nazim****Applicant****Versus****State of U.P. and 3 Ors.****I N D E X**

S.No.	Particulars	Pages
1.	Reply affidavit on behalf of the Respondent No. 3 DM Pilibhit	
2.	Annexure 1 Copy of the order dated 21.09.2023 passed by the respondent No.3/ DM Pilibhit	
3.	Annexure 2 Copy of the letter dated 24.12.2025 Along with list of payment dated 12.07.2023	

Filed by



[MUKESH VERMA]

Advocate for the UKPCB

Ch. No. 50, Old Block

Supreme Court of India,

New Delhi 110 001

(M) 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi

Dated: 19.01.2026

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O. A. No. 533/2025

In the matter of

Muskan w/o NazimApplicant

v/s


State Of U.P. & 3 OthersRespondents


REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3

I, Gyanendra Singh S/o Shri Dev Singh aged about 56 years, presently posted as District Magistrate, District Pilibhit, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent working in above capacity fully conversant with the facts of the case and as such is competent to swear this affidavit on behalf of respondent No.3 / District Magistrate Pilibhit.
2. That I have perused the contents of the captioned Original Application. In this respectful submission, I deny each and every averment made except which are matter of records and contentions raised in the present Original Application. Nothing stated therein should be deemed to have been admitted unless the same is expressly

admitted herein.





Preliminary Submissions

1. That the unfortunate incident dated 04.07.2023 resulting in the death of three minor children is deeply regretted; however, the said incident did not occur due to any act, omission or negligence on the part of Respondent no. 3. The alleged cause of the incident squarely relates to illegal excavation and non-compliance of statutory safeguards by the respondent no. 4, a private Brick Kiln Unit.
2. It is submitted that the District Administration, as a measure of immediate humanitarian relief, has extended ex-gratia compensation of Rs. 4,00,000/- to each affected family on 12.07.2023, strictly in accordance with prevailing Government norms and policies. Further it is submitted that the maximum amount sanctioned as interim relief under State Disaster Fund has been given to affected families without prejudice to any legal proceedings pending against the private respondent.
3. That the Respondent no. 3 has neither violated any environmental law nor failed to discharge statutory duties. The entire cause of action arises out of illegal mining and negligence of Respondent no. 4.
4. That the Respondent no. 3 has acted fairly, promptly, and strictly in accordance with law, and has neither contributed to nor benefited from the alleged illegal mining activity.


That the present Original Application, to the extent it seeks relief against Respondent no. 3, is liable to be dismissed, as no case of



17/11/2026

17/11/2026


g



negligence, breach of statutory duty, or environmental violation is made out against the District Administration.

Para-wise Reply

1. That in reply to the contents of para no. 1 & 2 of the O. A. it is submitted that insofar as they narrate the incident of drowning of three minor children are matters of record. However, it is denied that Respondent no. 3 had any role in the alleged illegal excavation or that incident occurred due to any lapse on the part of the District Administration.
2. That in reply to the contents of para no. 3 of the O. A. as stands it is admitted that F. I. R. no. 143 of 2023 dated 04.07.2023 under section 304-A I. P. C. was registered at Police Station Amariya, District Pilibhit. The F. I. R. was lodged against Respondent no. 4, the Brick Kiln Unit, and its owners. The registration of F. I. R. itself demonstrates prompt action by the District Administration and the police authorities.
3. That in reply to the contents of para nos. 4, 5, 6 & 7 of the O. A., it is to submit here that a up on the occurrence of incident, joint inspection was immediately conducted on 11.07.2023 by the Tehsildar Amariya and Mining Officer Pilibhit. The joint Inspection Report clearly indicates that the excavation at gata no. 136 situated at village KaichuTanda was carried out beyond the permissible limit of 2 meters, which constitutes a clear violation by respondent no. 4. Further it is denied that Respondent no. 3 failed in any statutory



[Handwritten signature]




duty. On the contrary, the findings of Joint Inspection report establish that the Brick Kiln owners had full knowledge of the applicable mining and environmental regulations and still violated the same. Upon the joint report dated 11.07.2023 taking legal action against the Respondent no. 4 a penalty of Rs. 4,22,500/- was imposed against the Respondent no. 4 for illegal mining. For kind perusal the copy of order dated 21.09.2023 passed by the respondent no. 3/District Magistrate Pilibhit is being annexed here as **Annexure no. 1.**

4. That the contents of para no. 8 of the O. A. as stands are not admitted, hence denied. It is denied that the respondent no. 3 is responsible for fencing, restoration or post excavation management of the pit. As per law, the obligation to ensure fencing, safety measures and restoration squarely lies upon the Respondent no. 4/Brick Kiln owner. Any failure in this regard cannot be attributed to the District magistrate.
5. That in reply to the contents of para no. 9 of the O. A., it is submitted that environmental clearance, compliance with MoEE&CC Office memorandum dated 24.06.20213, and adoption of post-excavation safety measures statutory responsibilities of private operators. Respondent no. 3/District Magistrate cannot be held vicariously liable for violation committed by private entity.

That in reply to the contents of para nos. 10 & 11 of the O. A. it is submitted that the inspection and follow-up actions demonstrate due



[Handwritten signature]




diligence and prompt response, rather than negligence. Respondent no. 4 are liable under the principle of strict or absolute liability as they are a project proponent, operator, or beneficiary of the alleged mining activity.

7. That in reply to the contents of para nos. 12, 17 & 18 it is submitted that the cited judgments pertain to liability of project proponent/operators engaged in hazardous or mining activities. The District Administration cannot be equated with a polluter, miner or commercial operator, and therefore, the said judgments are applicable to Respondent no. 4.
8. That in reply to the contents of para no. 13 of the petition it is submitted it is submitted that mere non-enhancement of compensation does not give rise to any statutory or legal liability against Respondent no. 3, particularly when no policy mandates automatic enhancement.
9. That in reply to the contents of para no 14 of the O. A. with respect to alleged representation dated 26.08.2025, it is submitted that in view of prayer made in the aforementioned letter the same was forwarded to C. R. A./Daiviy Aapda section for submitting the report. In its report dated 24.12.2025 it has been described that according to the policy the amount of Rs. 4,00,000/- per person on 12.07.2023 has been awarded and there is no provision of enhancement in ex-gratia. For kind perusal the copy of letter dated



[Handwritten Signature]



24.12.2025 along with list of payment dated 12.07.2023
annexed here as **Annexure no. 2.**


10. That in reply to the contents of para nos. 15 & 16 of the O. A. it is to submit here that while the Hon'ble tribunal has wide powers under section 15, 17 and 20 of the N. G. T. Act, the said powers to be exercised against violators of environmental laws and not against the statutory authorities who have acted bona fide and within the scope of their duties.
11. That in reply to the contents of para no. 19 of the O. A., it is submitted that the allegations contained in Grounds A to E are denied in toto insofar as they attempt to attribute liability to respondent no. 3/District Magistrate Pilibhit. The answering reiterates that any environmental violation, if established, is attributable solely to Respondent no. 4.

Reply to limitation

12. That the contents of paragraph relating to limitation are matters of law and do not require any specific reply from Respondent no. 3. However, it is submitted that no cause of action survives against the Respondent no. 3/District Magistrate Pilibhit, irrespective of limitation.


EXTRA PLEADINGS

13. That the Respondent no. 3 has neither violated any environmental law nor failed to discharge statutory duties. The entire cause of



Anil Kumar Rastogi
12/11/2026

[Signature]



action arises out of illegal mining and negligence of Respondent no 3.

4.

14. That the Respondent no. 3 has acted fairly, promptly, and strictly in accordance with law, and has neither contributed to nor benefited from the alleged illegal mining activity.

15. That the present Original Application, to the extent it seeks relief against Respondent no. 3, is liable to be dismissed, as no case of negligence, breach of statutory duty, or environmental violation is made out against the District Administration.

14. It is submitted that the said grounds do not take significance as the said grounds are not maintainable, in view of the fact that the Original Application is liable to be dismissed with cost.

15. That in the abovementioned facts and circumstances of the case the Original application of the petitioner is liable to be dismissed.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I the deponent do hereby verify that the contents of this reply Affidavit believed to be, which is based on the information derived from the record of the present case and nothing material has been concealed therein.

Verified at PILIBHIT on this January, 10th day of 2026.



[Signature]
17/1/2026

[Signature]
DEPONENT

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पीलीभीत

कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत

पत्रांक-3429/जि0आ0प्र0प्रा0(दौ0आ0)/2025

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2025

प्रभारी अधिकारी,
खनन,
जनपद- पीलीभीत।

कुपया श्रीमती मुस्कान पत्नी नाजिम, निवासी ग्राम केंचुटांडा, थाना अमरिया, पीलीभीत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 द्वारा अपने पुत्र सहित तीनों बच्चों की नेहा व्रीक्स फिल्ड उर्फ कादरी ब्रिक भट्टा के पास गड्ढे के पानी में डूब कर हुयी मृत्यु पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पीडित परिजनों/पड़ोसियों को मात्र चार-चार लाख रुपये सरकार द्वारा मिले थे, जो बेहद कम है, प्रार्थियों को कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अधिक से अधिक सहायता राशि दिलवाये जाने के संबंध में दिनांक 25.08.2025 को जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत को सम्बोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2025 को प्रार्थिनी के पुत्र आयान पुत्र नाजिम, उम्र लगभग 09 वर्ष, रानू पुत्र छोटन शाह उम्र 08 वर्ष तथा मुस्तकीम पुत्र भूरा शाह उम्र लगभग 10 वर्ष गांव से लगभग 600 मीटर दूर पानी के गहरे गड्ढे में डूब कर मृत्यु हुयी थी, जिसके कम में राजस्व विभाग, राजस्व अनुभाग-11, के पत्र संख्या-387/ एक-11- 2021-4(जी)/2025, दिनांक 09 जून, 2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखरा, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को आपदा घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-03/ 2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 10.10.2022 में निर्धारित मानक के अनुसार पीडित परिवारों को दैवीय आपदा के अन्तर्गत बिल संख्या-1642170397 व टोकन संख्या-1623156774 द्वारा रू0 04-04 लाख कुल 12.00 लाख (03 जनहानि) की आर्थिक सहायता डी0बी0डी0 के माध्यम से विधिक वारिसों के बैंक खाते में दिनांक 12.07.2025 को भुगतान किया जा चुका है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.10.2022 में निर्धारित मानक के अनुसार आर्थिक सहायता धनराशि रू0 04.00-04.00 लाख प्रदान किया गया है। शासनादेश में निर्धारित मानक से अधिक धनराशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः आवेदक के प्रत्यावेदन के कम में मानक से अधिक धनराशि नहीं दी जा सकती

है।

संलग्नक-कोषागार पोर्टल द्वारा भुगतान का विवरण।

(प्रसून द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
पीलीभीत।

संख्या /जि0आ0प्र0प्रा0(दौ0आ0)/2025/तददिनांक
प्रतिलिपि:-
1 जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
पीलीभीत।

SrNo.	Token No.	Bill Reg No.	Name	Debit Amt.			
1	1623156774	1642170397	PILIBHIT	1200000			
Credit Amount							
SrNo.	Beneficiary Id	Name	IFSC Code	UTRNO.	Status	Payment Date	Credit Amt.
1	B160000195496	BHOORAA SHAH	SBIN0006682	RBI1942371761502	BOOK	2023-07-12	400000
2	B160000195495	CHOTAN SHAH	BARB0BUPGBX	RBI1942371761386	BOOK	2023-07-12	400000
3	B160000195494	NAZIM	ICIC00PDCBL	RBI1942371761468	BOOK	2023-07-12	400000
TOTAL							1200000

gs

कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।

संख्या 343 / खनन अनुभाग-23

दिनांक सितम्बर 22, 2023

मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर,
प्रो0 श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद,
निवासी ग्राम कैंचू टाण्डा,
तहसील-अमरिया।

खान अधिकारी, पीलीभीत एवं तहसीलदार, अमरिया की संयुक्त आख्या दिनांक 11.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अगवत कराया है कि ग्राम कैंचू टाण्डा में स्थित ईट-भट्टा मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर जोकि श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त भट्टे पर दिनांक 04.07.2023 को 03 बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई थी। मौके का निरीक्षण किया गया। किन्तु बरसात के चलते पानी भरा होने के कारण घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाये। जिस हेतु दिनांक 11.07.2023 को मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ईट-भट्टा स्वामी द्वारा खनन विनियमन शुल्क दिनांक 17.12.2022 को तथा भट्टा संचालन हेतु प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से 31.07.2025 तक एन0ओ0सी0 ली गई है। भट्टे स्वामी द्वारा मिट्टी खनन हेतु कुल 04 गाटे कमशः 136, 143, 199, 1 कुल रकवा 3.010हे0 से ईट मिट्टी खनन हेतु अनुमति प्राप्त की गई। उक्त घटना गाटा संख्या 136 रकवा 0.8450हे0 में घटित हुई, जिसमें भट्टा स्वामी अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद व अन्य ओमप्रकाश, रमेश चन्द्र सहखातेदार है। जाँच आख्या अनुसार मौके पर गाटा संख्या 136 रकवा 0.845हे0 पर मानक से अधिक 2.10 मीटर गहरा, 15 मीटर चौड़ा तथा 25 मीटर लम्बाई गड्ढा पाया गया था। जबकि ईट मिट्टी खनन हेतु अधिकतम 2 मीटर गहराई तक खनन किया जा सकता है। जिसकी मौके पर फोटोग्राफी भी की गई। चूंकि भट्टा स्वामी विगत 20 वर्षों से अधिक समय से भट्टा संचालित कर रहा है। अतएव भट्टा स्वामी को भट्टा संचालन, ईट मिट्टी खनन, पर्यावरण प्रदूषण आदि नियमों की पूर्णतया जानकारी थी। उसके उपरान्त भी भट्टा स्वामी द्वारा नियम विरुद्ध खनन करना व खनन गड्ढों का न भरना खनन नियमों के विरुद्ध है। भट्टे स्वामी द्वारा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 3, 42 का उल्लंघन किया गया है, जो अवैध खनन की श्रेणी में आता है।

खान अधिकारी आख्या के आधार पर ईट-भट्टा मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर प्रो0 श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद निवासी ग्राम कैंचू टाण्डा तहसील अमरिया को उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 का उल्लंघन करने पर दिनांक 28.07.2023 को अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार अमरिया के माध्यम से नोटिस तामील किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। ईट-भट्टा स्वामी द्वारा प्रतिउत्तर/जबाब दिया गया, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया। ईट-भट्टे स्वामी का उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 एवं उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम-3 एवं 42 का उल्लंघन है।

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध शास्ति धनराशि रू0 4,22,500/- (रू0 चार लाख बाइस हजार पांच सौ मात्र) की अधिरोपित करते हुए लेखाशीर्षक "0853 अलौह खनन" में एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अवैध खनन की धनराशि रू0 4,22,500/- (रू0 चार लाख बाइस हजार पांच सौ मात्र) को लेखाशीर्षक "0853 अलौह खनन" में प्रत्येक दशा में जमा किया जाना सुनिश्चित करें, आप द्वारा शास्ति की धनराशि जमा न किये जाने की दशा में शास्ति की धनराशि को वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (खनिज)
कृते जिलाधिकारी,
पीलीभीत।
दिनांक 22.09.2023

संख्या 343 / खनन अनुभाग-23

प्रतिलिपि:-
02-

खान अधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
तहसीलदार, अमरिया को दो प्रतियों से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति तमील कराकर तमीलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी (खनिज)
कृते जिलाधिकारी,
पीलीभीत।


—आदेश—

खान अधिकारी, पीलीभीत एवं तहसीलदार, अमरिया की संयुक्त आख्या दिनांक 11.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अगवत कराया है कि ग्राम कैचू टाण्डा में स्थित ईट-भट्टा मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर जोकि श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त भट्टे पर दिनांक 04.07.2023 को 03 बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई थी। मौके का निरीक्षण किया गया। किन्तु बरसात के चलते पानी भरा होने के कारण घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाये। जिस हेतु दिनांक 11.07.2023 को मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ईट-भट्टा स्वामी द्वारा खनन विनियमन शुल्क दिनांक 17.12.2022 को तथा भट्टा संचालन हेतु प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से 31.07.2025 तक एन0ओ0सी0 ली गई है। भट्टे स्वामी द्वारा मिट्टी खनन हेतु कुल 04 गाटे कमशः 136, 143, 199, 1 कुल रकवा 3.010हे0 से ईट मिट्टी खनन हेतु अनुमति प्राप्त की गई। उक्त घटना गाटा संख्या 136 रकवा 0.8450हे0 में घटित हुई, जिसमें भट्टा स्वामी अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद व अन्य ओमप्रकाश, रमेश चन्द्र सहखातेदार है। जाँच आख्या अनुसार मौके पर गाटा संख्या 136 रकवा 0.845हे0 पर मानक से अधिक 2.10 मीटर गहरा, 15 मीटर चौड़ा तथा 25 मीटर लम्बाई गड्डा पाया गया था। जबकि ईट मिट्टी खनन हेतु अधिकतम 2 मीटर गहराई तक खनन किया जा सकता है। जिसकी मौके पर फोटोग्राफी भी की गई। चूँकि भट्टा स्वामी विगत 20 वर्षों से अधिक समय से भट्टा संचालित कर रहा है। अतएव भट्टा स्वामी को भट्टा संचालन, ईट मिट्टी खनन, पर्यावरण प्रदूषण आदि नियमों की पूर्णतया जानकारी थी। उसके उपरान्त भी भट्टा स्वामी द्वारा नियम विरुद्ध खनन करना व खनन गड्डों का न भरना खनन नियमों के विरुद्ध है। भट्टे स्वामी द्वारा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 3, 42 का उल्लंघन किया गया है, जो अवैध खनन की श्रेणी में आता है।

खान अधिकारी आख्या के आधार पर ईट-भट्टा मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर प्रो0 श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद निवासी ग्राम कैचू टाण्डा तहसील अमरिया को उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 का उल्लंघन करने पर दिनांक 28.07.2023 को अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार अमरिया के माध्यम से नोटिस तामील किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। ईट-भट्टा स्वामी द्वारा प्रतिउत्तर/जबाब दिया गया, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया। ईट-भट्टे स्वामी का उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 एवं उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम-3 एवं 42 का उल्लंघन है।

तदनुसार ईट-भट्टा मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर प्रो0 श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद निवासी ग्राम कैचू टाण्डा तहसील अमरिया पर गाटा संख्या 136 रकवा 0.8450हे0 पर अवैध खनन की धनराशि रू0 4,22,500/- (रू0 चार लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निर्धारित होती है। उक्त धनराशि को आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर लेखाशीर्षक "0853 अलौह खनन" में प्रत्येक दशा में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय अवधि में शास्ति की धनराशि जमा न किये जाने की दशा में शास्ति की धनराशि की वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

दिनांक 21.09, 2023


 (प्रवीण कुमार लक्षकार)
 जिलाधिकारी,
 पीलीभीत।

कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।

संख्या 343

/खनन अनुभाग-23

दिनांक 21.09, 2023

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1:-

प्रभारी अधिकारी(खनिज), पीलीभीत।


2:-

खान अधिकारी, पीलीभीत।

3:-

मै0 कादरी ब्रिक सेन्टर प्रो0 श्री अमीर अहमद पुत्र वशीर अहमद निवासी ग्राम कैचू टाण्डा तहसील अमरिया जिला पीलीभीत।




 21/09
 जिलाधिकारी,
 पीलीभीत।

0-4896
 कोषागार प्रपत्र सं०-209 (A) (संशोधित)
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1) (प्रसार 417 एवं 478 देखिए)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता
 - पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
 - जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
 - जमा की जा रही धनराशि
 - लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर
 - लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड
 मुख्य लेखाशीर्षक उप मुख्य शीर्षक लघु शीर्षक उप शीर्षक

भारतीय स्टेट बैंक पीलीभीत

मे.० काठरी बिक सेन्टर

पो.० श्री, अमीर अहमद पुरा

वशीर अहमद R16 कैचिंग

तहसील अमरिया के अवेच खन

मे भारतीय शमन शुक्ल धनराशि

422500/-

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	चौरेवार शीर्षक	धनराशि ₹ अंकों में
0853	00	102	01	00	422500

धनराशि (शब्दों में) ₹ चार लाख पचास हजार पांच सौ मात्र

योग 422500/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
 विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्राप्तकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

JH00038
 चालान संख्या

अंकों में ₹

422500

दिनांक

17/10/23

शब्दों में ₹



05

4